तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टिए/6111/2006/जयपुर** **प्रकाश चन्द बनाम श्रीमती मुरलीदेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2019	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी श्री यज्ञदत्त शर्मा, अप्रार्थी अभिभाषक **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, चौमू, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 28–08–2006 को प्रकरण संख्या 105/2006 शीर्षक मुरली देवी बनाम प्रकाशचन्द में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थी–वादी–गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता को आक्षेपित आदेश केक द्वारा स्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्तागण उभय की बहस निगरानी पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बरान कुल किता 8 कुल रकबा 5–70 है0 स्थित ग्राम तिगरिया, तहसील चौमू के सम्बन्ध में वादीगण–गैर निगराकारान की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थना पत्र धारा 212 के अन्तर्गत भी प्रस्तुत किया गया। वादीगण–गैर निगराकारान की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता भी प्रस्तुत किया गया था जिसे कि आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के विपरीत जाते हुये आक्षेपित आदेश के द्वारा स्वीकार किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद दायर किया है। यद्यपि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा प्रदान नहीं की जा सकती है। वादी का प्रश्नगत आराजी में ना तो कोई कब्जा काश्त ही है और ना ही किसी राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज रहा है। और मौका कमिश्नर नियुक्ति के आधार पर किसी पक्ष को कब्जे के सम्बन्ध में अपने पक्ष में अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। वादी को अपने घोषणा के वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से ही साबित करना होता है। वादी अधीनस्थ न्यायालय में साज कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टिए/6111/2006/जयपुर** **प्रकाश चन्द बनाम श्रीमती मुरलीदेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अपना कब्जा साबित करना चाहते हैं और इसे वाद में एक "साक्ष्य" के रुप में उपयोग लेना चाहते हैं। निगराकारान द्वारा प्रश्नगत आराजी को दिनांक 21–03–2006 को खातेदार काश्तकार से पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रय किया है और क्रय के रोज से ही प्रार्थीगण का आराजी पर कब्जा कास्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किया जाये और निगरानी को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया जाये। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर पक्षकारान के स्वत्व निर्धारित नहीं हुये हैं। प्रश्नगत आराजी पर भौतिक रुप से वादी/गैर निगराकारान का कब्जा कास्त है और प्रार्थीगण जबरन आराजी की भौतिक स्थिति में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। आदेश 26 नियम 9 तथा आदेश 39 नियम 7, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत वाद में किसी विवाद बिन्दु के निर्धारण के लिये यदि न्यायालय उचित समझता है तो मौके की रिपोर्ट मंगाई जा सकती और मौके की रिपोर्ट मंगवाना या नहीं मंगवाना न्यायालय के परम क्षेत्राधिकार का प्रश्न है। यदि न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि प्रकरण में न्याय निर्णय, निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिये आवश्यक है तो वह मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगाने का आदेश देने में सक्षम हैं। योग्य अधिवक्ता ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 2016 पेज 573 तथा आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 29 अपने पक्ष में उद्धरित किये और अन्त में कथन किया कि निगरानी का स्कोप सीमित होने से व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भूल नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज की जाये। हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार न्यायालय किसी भी वाद में विवाद बिन्दु के विशदीकरण के लिये अपेक्षित या उचित समझता है तो अन्वेषण हेतु कमीशन नियुक्त कर सकता है। यद्यपि मौका निरीक्षण करने का आदेश देना न्यायालय का क्षेत्राधिकार है किन्तु आवश्यकता होने की स्थिति में ही इस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। वादीगण को चाहिए था कि वे सक्षम राजस्व रिकार्ड व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपने वाद को साबित करते। कब्जे के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट के आधार पर घोषणा के वाद को तय नहीं किया जा सकता है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टिए/6111/2006/जयपुर** **प्रकाश चन्द बनाम श्रीमती मुरलीदेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	और मौका निरीक्षण रिपोर्ट किसी भी वाद में या धारा 212 के प्रार्थना पत्र में निर्णय का आधार नहीं हो सकती है। पक्षकारान को अपना पक्ष दस्तावेजात व साक्ष्य के आधार पर स्वयं साबित करना होता है, मौका रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने की किसी भी पक्ष को अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। न्याय दृष्टान्त आर.बी.जे. (19)2012 पेज 546 पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने प्रकरण उन्वानी रमेश चन्द कुमावत व अन्य बनाम एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज व अन्य में स्पष्ट प्रकार से निम्नानुसार मत व्यक्त किया है :– **CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 - Order 26 Rule 9. Appointment of Commissioner. Commissioner can not be appointed for collection of evidence**. It is pertinent to note that a bare persual of the provisions of Order 26 Rule 9 clearly suggests that it is the discretion of the Court to appoint Commissioner and if the Court deems a local investigation to be requisite or proper for elucidating any matter in dispute, it can direct the appointment of a commissioner for such investigation and report thereon to the Court. In the instant case, the application is found to have been filled by the petitioner for appointment of Commissioner with a view to collection of evidence. Further, the petitioner did not file such application under Order 26 Rule 9, C.P.C., before executing Court. Now, he has filed this application with a view to procrastinate the execution proceedings and further with a design to frustrate the decree. The appellate Court is found to have dealt with all these aspects ad-longum are passed the impugned order, with which I am in unison and finally concur. **Writ Petition dismissed.** न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 159 पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि **साक्ष्य द्वारा अधिकार को वादी द्वारा साबित करना आवश्यक है– साक्ष्य एकत्रित करने हेतु कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।** न्याय दृष्टान्त आर.बी.जे. (18) 2011 पेज 230, आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 191, आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 203, आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 1114 में भी इसी प्रकार का मत प्रतिपादित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना कोई कारण अंकित किये नॉन–स्पीकिंग व नॉन–रीजण्ड आदेश से घोषणा के वादपत्र में मौका रिपोर्ट मंगाने का आक्षेपित आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत जाते हुये पारित किया है, जो कि उन्हें प्रदत्त न्यायिक क्षेत्राधिकार के सदुपयोग में पारित नहीं किया गया है और इसमें क्षेत्राधिकार के सदुपयोग नहीं किये जाने सम्बन्धी भूल होने से मण्डल में प्रस्तुत की गई यह निगरानी स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टिए/6111/2006/जयपुर</u>** **<u>प्रकाश चन्द बनाम श्रीमती मुरलीदेवी</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फलतः निगरानी सारवान पाये जाने से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, चौमू, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 28–08–2006 को प्रकरण संख्या 105/2006 शीर्षक मुरली देवी बनाम प्रकाशचन्द में में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है और वादी–गैर निगराकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया जाता है। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 01.02.2019 को उपखण्ड अधिकारी, चौमू, जिला जयपुर के न्यायालय में वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	